


न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

शस्त्र वाद सं०- 95/2015

मो० अमजद हुसैन, पिता-स्व० मो० महबूब, सा०-सोनपुर आदम(मिरदाहा),पो०+थाना-सोनपुर,  
जिला-सारण

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
13.08.2015	<p>यह वाद पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 2484गो०/, दिनांक 25.05.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन के साथ आवेदक मो० अमजद हुसैन, पिता-स्व० मो० महबूब,सा०-सोनपुर आदम (मिरदाहा), पो०+थाना-सोनपुर,जिला-सारण के शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु दिए गए संलग्न आवेदन के आलोक में प्रारंभ हुआ। आवेदक के द्वारा कार्यालय में संपर्क करने पर उन्हें सूचित किया गया कि उक्त वाद में सुनवाई की तिथि 13.08.2015 निर्धारित की गई है।</p> <p>दिनांक 13.09.2015 को आवेदक से हाजरी प्राप्त। आवेदक उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। आवेदक के द्वारा बताया गया कि वे काफी समय से राजनीतिक एवं सामाजिक कार्य करते आ रहे है। उनकी माँ पूर्व में वार्ड आयुक्त थी। माँ के कार्यों में सहयोग करने के क्रम में उनके कई राजनीतिक विरोधियों के साथ उनका भी तनाव उत्पन्न हो गया, जिससे उनके जान माल पर खतरे की आशंका बनी रहती हैं। अतः उनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।</p> <p>आवेदक को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरांत मैं यह पाता हूँ कि पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के पत्रांक 2484 गो०/, दिनांक 25.05.2015 के द्वारा प्रेषित पुलिस प्रतिवेदन में थानाध्यक्ष, सोनपुर के द्वारा दिनांक 03.04.2015 को प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक को अपने व्यवसाय एवं टिकेदारी के काम से बराबर बाहर जाना पड़ता है। इनकी पैतृक जमीन दियरा क्षेत्र में है। समय समय पर इन्हें काफी पैसा लेकर बाहर निकलना पड़ता है, जिससे इनके जान माल पर खतरे की आशंका बनी रहती है। इनके जान माल की सुरक्षा हेतु इन्हें शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>थानाध्यक्ष,सोनपुर के द्वारा अपने उक्त प्रतिवेदन में आवेदक के साथ किसी प्रकार की धटना के धटित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही, पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा के द्वारा भी आवेदक के आवेदन एवं</p>	



अन्य कागजातों को संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा के द्वारा आवेदक को शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने की स्पष्ट अनुशंसा नहीं की गई है। इस तरह आवेदक के जान माल पर खतरे की आशंका की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है।

अतः भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-शस्त्र, दिनांक 31-03-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 7/अनु0-10-25/2010 गृह आरक्षी 3026, दिनांक 13.04.2010 के द्वारा प्रेषित है, के आलोक में आवेदक मो0 अमजद हुसैन, पिता-स्व0 मो0 महबूब, सा0-सोनपुर आदम (मिरदाहा), पो0+थाना-सोनपुर, जिला-सारण के जान माल पर खतरे की कोई स्पष्ट आशंका न पाकर आवेदक के द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 04.03.2015 को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी,  
सारण, छपरा।

ज्ञापांक...<sup>21/50</sup>.../न्या0, दिनांक...<sup>22/8/15</sup>...

प्रतिलिपि:- पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा, सारण, छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निदेशानुसार प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता  
जिला विधि शाखा  
सारण, छपरा।

22/8/15